न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं० 10 इलाहाबाद।

UPAD040289952022

कम्प्यूटर नं० 28671/2022

प्रक्रीण वाद संख्या – /12/2021

दुर्गावती देवी बनाम सुभाष आदि

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द0 प्र0 सं0 का निस्तारण</u>

<u>22-09-2022</u>

पत्रावली वास्ते आदेश नियत है। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0 प्र 0 सं0 पर पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थिनी **दुर्गावती देवी** द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0 प्र 0 सं0 विपक्षीगण सुभाष, सूर्यभान एवं तरूण कुमार के विरूद्ध इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 26-06-2022 को समय करीब 2.00 बजे विपक्षीगण प्रार्थिनी के खेत पर आए और सरकारी पत्थरों को तोड़ डाला, करीब 3 फीट चौड़ा व लम्बाई करीब 60 लाठा प्रार्थिनी की आराजी पर कब्जा करने की दृष्टि से नींच खोदकर निर्माण करने लगे और प्रार्थिनी ने जब मना करने पर उसे व उसकी पुत्री को दौड़ाकर मारा और उसकी पुत्री से बत्तमीजी करना चाहा। प्रार्थिनी ने 112 नम्बर पर फोन करके पुलिस को बुलाया तो पुलिस वालों ने प्रार्थिनी के पति व सत्य नारायण को थाने ले जाकर 107/116 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। विपक्षीगण ने प्रार्थिनी का बला पकड़कर जमीन पर पटक कर मारा गया जिससे उसके सिर, मूंह तथा आंख पर चोटें आयी। प्रार्थिनी ने अपनी चोटों का इलाज बेली अस्पताल में कराया। प्रार्थिनी ने उक्त घटना के सम्बंध में पुलिस के उच्चधिकारियों को दिया परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। तदोपरांत प्रार्थिनी ने उक्त प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थिनी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छाया प्रति तथा रजिस्ट्री रसीद की मूल प्रति दाखिल किया है।

थाने की आख्या के अनुसार विपक्षीगण के सम्बंध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया|

पत्रावली पर उपलब्ध आवेदिका के आवेदन के तथ्यों एवं थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार आवेदिका व विपक्षीगण के बीच जमीन के कब्जे को लेकर कहा सुनी हुई थी जिसके सम्बंध में स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर जाकर शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिए निरोधात्मक कार्यवाही अन्तर्गत धारा 107/116 दं०प्र०सं० में चालाना किया गया। चूँकि मामला सिविल प्रकृति के होने के कारण दोनों पक्षकारों के हिरासत दिया गया था। सम्बंधित न्यायालय में वाद दाखिल कर अनुतोष प्राप्त करें। प्रार्थनापत्र में आरोप की पुष्टि नही हो सकती, कि आख्या प्रस्तुत की गयी है।

आवेदक ने अपने आवेदन में लोक सम्पत्ति पर विपक्षीगण द्वारा कब्जा किए जाने को लेकर मारपीट होने का कथन किया गया है। विपक्षीगण पर आवेदक ने यह अभियोग लगाया है कि पत्थर नशीबी की कार्यवाही होने के पश्चात विपक्षीगण द्वारा सरकारी पत्थर को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। परन्तु आवेदक द्वारा पत्रावली साक्ष्य सूची से उठाकर दाखिल किया गया है जिसमें ईटों को उखाड़ा गया है। आवेदिका ने दिनांक 28–06–2022 के सम्बंध में जाँच रिपोर्ट प्रपत्र प्रस्तुत किया है जिससे किसी संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना परिलक्षित नही होता है। इस सम्बंध में पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की गयी है। अतः मामले के तथ्य एवं पारिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामला सिविल प्रकृति का होना परिलक्षित होता है। प्रार्थिनी **दुर्गावती देवी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) निरस्त किए जाने योग्य है|

आदेश

प्रार्थिनी **दुर्गावती देवी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है| पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–22–09–2022

(शैलेश कुमार मौर्य)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कक्ष सं0 10 इलाहाबाद।
जे०ओ० कोड नं० 2290